संख्या- १० /2026/ —— /001-1943-26-3-2026-1997778

प्रेषक,

प्रवीण मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग
उ0प्र0लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक १5 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1073/स0क0/विकास/मु0सा0वि0यो0/बजट/1/2026-27, दिनांक 08.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक 2235-02-200-12-00-20 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-75000.00 लाख के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0-18750.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-64/2026/1133/26-3-2026-1397413 दिनांक 28.04.2026 द्वारा की जा चुकी है तथा योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 56250.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-12-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 75000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि रू0 56250.00 लाख (रू0 पांच अरब बासठ करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2026-27 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्रस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि जिन कार्यो हेतु दी जा रही है, उसका उपभोग उन्हीं कार्यो के लिये किया जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों/ शासनादेशों के आलोक में किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(6) निदेशक,समाज कल्याण द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/ दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,62,50,00,000 (रुपये पाँच अरब बासठ करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 080 **लेखा शीर्षक** 2235022001200 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/ दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by PRAVEEN MISHRA Date: 13-07-2026 17:20:29

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- ९० /2026/ — /001-1943 26-3-2026-1997778, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 15-07-2026
17:23:34

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।